रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218732
CG-DL-E-18032020-218732

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2020/फाल्गुन 26, 1941
No. 154] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2020/PHALGUNA 26, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

सा.का.नि. 180(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वाराहीय स्रोतों से निकाला और तैयार किया गया किनोडीऑक्सीकॉलिक अम्ल और अर्सोडीऑक्सीकॉलिक अम्ल औषधि का प्रयोग, जिससे मानव और जन्तुओं को विशेष जोखिम अन्तर्वलित होने की संभावना हो, और लोक हित में उक्त औषधियों के आयात को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक और समीचीन है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन साम्रग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 10क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना की, सारणी में, क्रम संख्यांक 13 और उससे सम्बन्धित प्रविष्ट के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"14. वाराहीय स्रोतों से निकाला और तैयार किया गया किनोडीऑक्सीकॉलिक अम्ल ।

15. वाराहीय स्रोतों से निकाला और तैयार किया गया अर्सोडीऑक्सीकॉलिक अम्ल ।"।

[फा. सं. एक्स.11014/1/2020-डीआर]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 577(अ), तारीख 23 जुलाई, 1983 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिमतः अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. 52(अ), तारीख 27 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

G.S.R. 180 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that the use of the drugs Chenodeoxycholic acid and Ursodeoxycholic acid, extracted and prepared from porcine sources, are likely to involve certain risk to human beings and animals and that it is necessary and expedient to prohibit the import of the said drugs in the public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 10A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare number G.S.R. 577(E), dated the 23rd July, 1983, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 13 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

"14. Chenodeoxycholic acid extracted and prepared from porcine sources.

15. Ursodeoxycholic acid extracted and prepared from porcine sources.".

[F.No. X.11014/1/2020-DR]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R. 577(E), dated the 23rd July, 1983 and lastly amended vide notification number G.S.R. 52(E), dated the 27th January, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.18 12:33:31 +05'30'